राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

कमली बनाम मांगीलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 24/12/2025 को पेश हो।	
24/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 3 की और से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 22/12/2022 एवं डिक्री दिनांक 04/01/2023 पारित करते हुए प्रार्थना पत्र 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय में किया गया विवेचन एवं उसके आधार पर तय किया गया निष्कर्ष विधिसम्मत प्रतीत होता है कि निर्णय व डिक्री दिनांक 07/09/1999 के विरुद्ध अपीलार्थी/वादी द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नही किये जाने एवं उक्त निर्णय व डिक्री के प्रभाव व अस्तित्व में रहते हुये अपीलार्थी/वादी का वाद बार्ड बाई लॉ है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के माध्यम से अपीलार्थी/वादी का वाद बार्ड बाई लॉ धारित करने में कोई त्रुटी किया जाना स्पष्ट नही होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22/12/2022 एवं डिक्री दिनांक 04/01/2023 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 24/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	